सी-डैक के भर्ती नियम

(लागू सातवें वेतन आयोग के नियमों को शामिल करते हुए)

सी-डैक की उपविधियों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सी-डैक के कर्मचारी वर्ग के लिए यह भर्ती नीति निम्नानुसार प्रतिपादित (सूत्रबद्ध) की गई है-

1. **लघु शीर्षक एवं अधिनियम-**

   यह नीति **'सी-डैक के भर्ती नियम'** कहलाएगी।

2. **नियमों की अनुप्रयोज्यता एवं कार्य-क्षेत्र-**

   ये नियम सी-डैक के वैज्ञानिक एवं तकनीकी तथा गैर-वैज्ञानिक एवं गैर-तकनीकी कर्मचारियों के भर्ती को विनियमित करेंगे।

3. **पदों का वर्गीकरण-**

   केवल आकस्मिक व्यय से भुगतान प्राप्त किए हुए कर्मचारियों को छोड़कर, संस्थान के बाकी सभी कर्मचारी निम्नानुसार वर्गीकृत हैं-

क्र. सं.	पद विवरण	पद वर्गीकरण
1.	पे मैट्रिक्स (वेतन-मान) के अंतर्गत लेवल 10 और इसके ऊपर वाले पद	श्रेणी 'क'
2.	पे मैट्रिक्स (वेतन-मान) के अंतर्गत लेवल 6 और 7 वाले पद	श्रेणी 'ख'
3	पे मैट्रिक्स (वेतन-मान) के अंतर्गत लेवल 1, 2, 4 और 5 ऊपर वाले पद	श्रेणी 'ग'

4. **भर्ती प्रणाली**- विभिन्न पदों की भर्ती हेतु निम्नलिखित में से कोई पद्धति अपनाई जाएगी-

4.1 प्रशासनिक मंत्रालय के दूसरे संस्थानों, केंद्र/ राज्य सरकारों, पीएसयू इत्यादि से प्रतिनियुक्त/ स्थायी समावेशन के आधार पर।

4.2 पदोन्नति द्वारा।

4.3 विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले संस्थान के कर्मचारी।

4.4 विज्ञापन (वेब आधारित विज्ञापनों सहित) के जरिए खुले बाजार से सीधी नियुक्ति।

4.5 कार्यकाल या लघु अवधि संविदा/ परामर्श कार्य के आधार पर विशेषज्ञों की सीधी भर्ती।

4.6 सी-डैक के पाठ्यक्रमों को समाहित करते हुए प्रतिष्ठित संस्थानों से परिसर भर्ती।

सुनिल मिसर
कुलसचिव
प्रगत संगणन विकास केंद्र
Sunil Misar
Registrar
Centre for Development of
Advanced Computing
7-2-2021

प्रगत संगणन विकास केंद्र * Centre for Development of Advanced Computing * सी डैक CDAC कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office

4.7 खोज के द्वारा, यदि तीन विज्ञापनों के बाद उपयुक्त कर्मचारी चयन नहीं होता है या चयनित कर्मचारी पदभार ग्रहण नहीं करता है।

4.8 असाधारण प्रतिभाशाली उम्मीदवार / प्रख्यात व्यक्तित्व को आमंत्रित करके।

4.9 परिषद के पूर्व स्वीकृति के आधार पर किसी अन्य प्रणाली द्वारा।

4.10 नियमित वेतनमान पर संविदा कर्मचारियों का एक बार समावेशन (कृपया सी-डैक के उपनियम की धारा (क्लाज़) 18.1.5 का संदर्भ लें।)

5. **संस्थान के कर्मचारियों की सेवा की नियम एवं शर्तें-**

महानिदेशक एवं कार्यकारी निदेशक के अलावा संस्था के अन्य कर्मचारियों को चार वर्गों में विभक्त किया गया है, नामतः

क. तकनीकी कर्मचारी श्रेणी क (एमटीएस-क)

ख. श्रेणी क के नीचे के तकनीकी कर्मचारी (एमटीएस-ख)

ग. प्रशासनिक कर्मचारी श्रेणी क (एमएएस-क)

घ. श्रेणी क के नीचे के प्रशासनिक कर्मचारी (एमएएस-ख)

इन श्रेणियों में कर्मचारियों की संख्या को सीमित रखने के उद्देश्य से सहायक सेवाएँ, जैसे- गृह-व्यवस्था, सुरक्षा, परिवहन एवं यात्रा बुकिंग इत्यादि को जितना संभव हो, बाहरी संविदा पर दिया जाएगा।

6. **भर्ती के लिए योग्यताएँ एवं अनुभव प्रतिमानक-**

विभिन्न पदों के लिए आयु, योग्यताएँ एवं अनुभव संलग्न अनुसूचियों के आधार पर होंगे।

क) एमटीएस क-1 से एमटीएस क-6 तक की अनुसूचियाँ श्रेणी क वैज्ञानिक एवं तकनीकी कर्मचारी वर्ग की भर्ती के लिए हैं।

ख) एमएएस क-1 से एमएएस क-5 तक की अनुसूचियाँ श्रेणी क गैर-वैज्ञानिक व गैर-तकनीकी कर्मचारी वर्ग की भर्ती के लिए हैं।

ग) एमटीएस ख-1 से एमटीएस ख-5 तक की अनुसूचियाँ वैज्ञानिक एवं तकनीकी श्रेणी क के नीचे के कर्मचारियों के लिए हैं। और

घ) एमएएस ख-1 से एमएएस ख-6 की अनुसूचियाँ गैर-वैज्ञानिक व गैर-तकनीकी श्रेणी क के नीचे के कर्मचारियों के लिए हैं।

7. **सीधी भर्ती की प्रक्रिया-**

सुनील गिरि 7-2-2024

प्रगत संगणन विकास केंद्र * सी डैक CDAC कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office * Centre for Development of Advanced Computing

विज्ञापन के जरिए सीधी भर्ती के अंतर्गत रिक्तियों को भरने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाएँ अपनाई जाएंगी-

7.1. **विज्ञापन निकालना**

7.1.1 अनुसंधान कर्मियों एवं प्रवेशन / सुविधा प्रशिक्षुओं सहित संस्थान के सभी पद सामान्य रूप से विज्ञापन द्वारा भरे जाएंगे एवं पद के लिए नियुक्ति करने हेतु सक्षम प्राधिकारी यह निर्णय करेंगे कि कोई विशेष पद विज्ञापन, निमंत्रण, संस्थान के कर्मचारियों में से किसी की पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति, इनमें से किसके द्वारा भरे जाएंगे। जहाँ किसी पद को खुले भर्ती द्वारा भरना है, वहाँ समाचार-पत्रों में इस तरह से विज्ञापन करने होंगे कि देश के उपयुक्त क्षेत्र समाविष्ट हो जाएँ। सामान्य रूप से विज्ञापन आने की तिथि से न्यूनतम 2 हप्तों का समय आवेदनपत्रों की प्राप्ति के लिए देना चाहिए। विज्ञापन सी-डैक की वेबसाइट पर भी प्रकाशित करने हैं।

7.1.2 जब विज्ञापन जारी किए जाएंगे तब उनकी प्रतिलिपियाँ, जहाँ लागू होगा, साथ-साथ संबंधित रोजगार कार्यालय को भेज दी जाएँगी।

7.1.3 विज्ञापन व्यय को कम करने के उद्देश्य से संस्थान की वेबसाइट पर पूर्ण ब्योरा देखें, इस प्रकार के सुझाव के साथ समाचार-पत्रों के जरिए एक संक्षिप्त अधिसूचना जारी की जाएगी।

7.2. **योग्यताएँ एवं अनुभव-**

(संलग्न अनुसूचियों में) वांछित योग्यताएँ एवं अनुभव पदों के लिए न्यूनतम आवश्यकताएँ हैं। निर्धारित शैक्षिक योग्यता को अर्जित करने के बाद निर्धारित अनुभव प्राप्त किया जाना चाहिए।

न्यूनतम निर्धारित योग्यता / अनुभव की तुलना में इससे अधिक शैक्षिक योग्यता / अनुभव रखनेवाला उम्मीदवार उसी पद के लिए विचारित होगा, जिसके लिए उसने आवेदन किया है और ना कि किसी अन्य उससे बड़े पद के लिए। उसी तरह एक विशेष पद के लिए आवेदन किया हुआ उम्मीदवार जो केवल कम योग्यता / अनुभव रखता है, इस आधार पर उससे नीचे के पद के लिए विचारित नहीं होगा।

7.3. **आयु-**

7-2-2024

प्रगत संगणन विकास केंद्र * सी डैक CDAC कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office * Centre for Development of Advanced Computing

भर्ती नियमों के आधार पर न्यूनतम / अधिकतम आयु निर्धारित होगी। विचारित होने के लिए पात्रता का निर्धारण करने की निर्णायक तिथि आवेदनपत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों इत्यादि की आयु में छूट सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के आधार पर दी जाएगी।

7.4. **आवेदन शुल्क-**

आवेदन शुल्क नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित होगा।
महिला उम्मीदवारों तथा अजा, अजजा एवं विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

7.5. **अनुवीक्षण समिति-**

विज्ञापन के प्रतिउत्तर में प्राप्त आवेदनपत्र एवं रोजगार कार्यालय से प्राप्त नामांकनों की जाँच, अनुवीक्षण समिति द्वारा होगी जो आवेदनपत्रों का सत्यापन करेगी एवं संतुष्ट करेगी कि आयु, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि से संबंधित निर्धारण संतुष्टिप्रद हैं। जब बहुत सारे आवेदनपत्र प्राप्त हों एवं परीक्षा / साक्षात्कार के लिए सभी आवेदकों को बुलाना साध्य न हो तो आवेदनपत्रों को लघु सूचीबद्ध किया जाएगा एवं अनुवीक्षण समिति के संस्तुतियों पर एक छोटी संख्या पर विचार किया जाएगा। परीक्षा / साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने हेतु विज्ञापित मानकों को बढ़ाने की संभावना विज्ञापन में स्पष्ट रूप से प्रकट होनी चाहिए। पद की नियुक्ति के लिए अनुवीक्षण समिति में दो या दो से अधिक सदस्य होंगे, जो कि सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित किए जाएंगे।

अनुवीक्षण समिति द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार चयन समिति द्वारा लिखित परीक्षा / कौशल परीक्षण या साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे। ऐसे मामलों में जहाँ भर्ती नियम में परीक्षा का प्रावधान न हो वहाँ नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी आवश्यक होने पर परीक्षा लेने का आदेश ले सकता है।

7.6. **चयन समिति-**

पद की नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी एक चयन समिति का गठन करेगा एवं उनमें से एक सदस्य को समिति के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करेगा। चयन, व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं जहाँ कोई निर्धारित विधि नहीं है, वैसी स्थिति में चयन समिति किसी अन्य विधि का उपयोग कर सकती है, जिसके आधार पर चयन होगा। चयन समिति की बैठक के

सुनील मल्हार
7-2-2021

प्रगत संगणन विकास केंद्र * सी डैक CDAC कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office * Centre for Development of Advanced Computing

लिए कोरम में दो बाह्य सदस्यों सहित 4 सदस्य होंगे। चयन समिति के सदस्यों का स्तर (वेतनमान) उस स्तर से कम से कम एक स्तर ऊँचा होना चाहिए जिसके लिए चयन किया जा रहा हो। नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ समितियाँ गठित होंगी। सामान्यतः चयन समिति के गठन के लिए निम्न मानदंडों का पालन किया जाएगा।

- जिस क्षेत्र में भर्ती हो रही हो, उस क्षेत्र से सी-डैक के दो सदस्य।
- प्रासंगिक क्षेत्र से दो बाह्य विशेषज्ञ, अच्छा हो कि एक शैक्षणिक क्षेत्र से एवं एक उद्योग से।
- मानव संसाधन / कार्मिक विभाग का प्रतिनिधि

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि को शामिल करने के लिए भारत सरकार के निर्देशों का पालन किया जाएगा। अल्पसंख्यक समुदाय / महिला / शारीरिक रूप से अक्षम सदस्य को शामिल करने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए।

7.7. **उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा की व्यवस्था-**

7.7.1 आवश्यकतानुसार जाँच किए हुए उम्मीदवारों को सार्टलिस्ट करने (की लघुसूची बनाने) के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती है एवं जो योग्य ठहरेंगे केवल उन्हीं का साक्षात्कार होगा। यदि आवश्यक समझा गया तो तकनीकी ट्रेंडों के लिए लिखित परीक्षा के अतिरिक्त प्रयोगात्मक परीक्षा भी आयोजित की जाएगी।

7.7.2 साक्षात्कार के लिए चयनित उम्मीदवारों की संख्या सामान्यतः प्रस्तावित रिक्त पदों की संख्या के दसगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। परीक्षाओं में उम्मीदवारों के प्रदर्शन की रिपोर्ट चयन समिति के पास उपलब्ध होनी चाहिए।

7.7.3 आवेदकों को अपने प्रमाणपत्रों एवं प्रशंसापत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियाँ फाइल करनी चाहिए एवं साक्षात्कार के समय मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी चाहिए।

7.7.4 समितियों की संस्तुतियों के साथ चयन समिति द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा या साक्षात्कारों का रिकार्ड कम से कम 2 वर्षों तक या जबतक भर्ती फाइलें रखी जाएँ, जो भी अधिक हो, तक प्रशासन में संरक्षित रखनी चाहिए।

7.8. **चयन समिति की कार्यवाही-**

सक्षम प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति, पदों पर नियुक्ति के लिए समिति के अध्यक्ष द्वारा तय की गई तिथि को मिलेंगे। विज्ञापन की एक प्रतिलिपि एवं साक्षात्कार के लिए

7-2-2024

प्रगत संगणन विकास केंद्र * Centre for Development of Advanced Computing * सी डैक CDAC कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office

आमंत्रित सभी उम्मीदवारों के विवरण चयन समिति के प्रत्येक सदस्य को अग्रेषित किए जाएंगे। चयन समिति आमंत्रित उम्मीदवारों के साख एवं साक्षात्कार पर विचार करती है। चयन समिति उम्मीदवारों के चयन के लिए परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु दिए जाने वाले अधिमान का निर्णय करेगी।

चयनित उम्मीदवारों के नाम चयन समिति के कार्यवृत्त में योग्यता के क्रम में उल्लेखित किए जाएंगे। चयन समिति प्रत्येक मामले में प्रत्येक पदक्रम में प्रारंभिक मूल वेतन या कुल परिलब्धियाँ / समेकित वेतन के लिए सिफारिश भी करती है।

7.9. **दिए जानेवाले वेतन का निर्धारण-**

संस्थान में कर्मचारी की नियुक्ति पर उसका वेतन सामान्यतः वेतनमान का न्यूनतम होगा। पद के लिए नियुक्ति करने वाले सक्षम प्राधिकारी को चयन समिति की संस्तुति के आधार पर पदग्राही को न्यूनतम वेतन से अधिकतम पाँच वेतनवृद्धि तक निर्धारित करने का अधिकार है।

जहाँ चयन समिति समझती है कि चयनित उम्मीदवार का प्रारंभिक वेतन एक स्तर पर न्यूनतम से अधिक निर्धारित होना चाहिए तो यह निम्नलिखित कारकों के विचारण एवं इतने ऊँचे वेतन की संस्तुति के कारणों को विस्तृत में रिकॉर्ड करना होगा और जब चयन के कार्यवृत्त के अनुमोदन की बात हो तभी इसे विशेष रूप से सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाना होगा-

- संबंधित क्षेत्र में उम्मीदवार की वांछित योग्यता या लघुसूचियन के लिए निर्धारित योग्यता से अधिक योग्यता का होना;
- कोई विशिष्ट ज्ञान / अनुभव जिसके लिए उम्मीदवार के पास दस्तावेजी प्रमाण है एवं जो पद से संबंधित कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के लिए प्रासंगिक हो;
- समान या इससे उच्च वर्ग के कार्य में वर्षों का अनुभव;
- सरकारी या अर्द्ध-सरकारी विभाग / संस्थानों आदि से आ रहे उम्मीदवारों के संबंध में अंतिम आहरित वेतन;
- समान पदक्रम / पद में पदाधिकारी द्वारा आहरित वेतन के साथ तुलना।

ऊपर दिए गए सभी पाँच बिंदु सामूहिक रूप से पूर्ण समझे जाएंगे तब संस्थान में समान पदक्रम / पद में पदाधिकारियों द्वारा आहरित वेतन की तुलना में न्यूनतम महत्त्व दिया जाएगा ताकि नई नियुक्तियों द्वारा वेतन संरचना में असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए

सुनील भसिन
7-2-2021

प्रगत संगणन विकास केंद्र ★ Centre for Development of Advanced Computing ★ सी डैक CDAC कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office

संस्थान में समान पद एवं समान पदक्रम में मौजूद पदाधिकारियों के लिए वेतन की तुलना को अधिकतम महत्व दिया जाएगा।

7.10. **चयन समिति की रिपोर्ट**

चयन समिति की रिपोर्ट सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगी।

7.11. **चयन समिति के संस्तुतियों का अनुमोदन**

पद की नियुक्ति करने के लिए चयन समिति की संस्तुतियाँ सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होंगी।

7.12. **नियुक्ति प्रस्ताव**

चयन समिति की संस्तुतियों के अनुमोदन पर नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए जाएंगे। नियुक्ति प्रस्ताव निर्धारित वेतन, भत्तों की दरें, नियुक्ति की अवधि तथा समय-समय पर लागू सेवा की निबंधन एवं शर्तों को दर्शाता है एवं उम्मीदवार द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना को निर्धारित करता है।

वह उम्मीदवार जिसे संस्थान में नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया है, उसे निर्धारित समय को या उससे पहले कार्यभार ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि कुछ वास्तविक कारणों से अनुरोध करने पर सक्षम प्राधिकारी पद पर नियुक्ति को आगे बढ़ा सकता है पर यह अवधि प्रस्तावित तिथि से 6 महीने से अधिक नहीं होगी।

किसी निर्धारित चिकित्सा अधिकारी के द्वारा अपनी शारीरिक आरोग्यता की जाँच के लिए उम्मीदवार को निर्देशित किया जाएगा। शारीरिक आरोग्यता का एक संतोषजनक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाद नियुक्ति प्रस्ताव सक्रिय हो जाता है। नियुक्ति प्रस्ताव नियुक्ति प्राधिकारी या कोई अन्य अधिकारी जिसे अधिकार दिए गए हों के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

7.13. **निष्ठा-शपथ**

संस्थान के सभी कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक है कि निर्धारित प्रपत्र में भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा-शपथ लें (भरें)। शपथ लेने के लिए ईमानदार आपतिकर्ता निर्धारित प्रपत्र में एक औपचारिक प्रतिज्ञान कर सकते हैं।

7.13.1 प्रतिज्ञान अंग्रेजी या हिंदी या किसी भी आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा में लिया जा सकता है, जिससे कर्मचारी परिचित है।

सुनील भसीन
7-2-2021

प्रगत संगणन विकास केंद्र * सी डैक CDAC कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office * Centre for Development of Advanced Computing

7.13.2 ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारी जो विदेशी नागरिक हों, उनके लिए भी आवश्यक है कि निर्धारित प्रपत्र में शपथ / प्रतिज्ञान भरें (लें)।

7.13.3 शपथ-ग्रहण संस्थान की सेवा में व्यक्तियों की नियुक्ति के संदर्भ में भी होना चाहिए।

7.13.4 उन पूर्णकालिक कर्मचारियों का एक रिकार्ड बनाए रखा जाना चाहिए जिन्होंने निर्धारित शपथ / प्रतिज्ञान लिया है।

7.13.5 शपथ / प्रतिज्ञान नियुक्ति प्राधिकारी या इस निमित्त अधिकृत अधिकारी के समक्ष लेना चाहिए।

7.14. **पैनल/ प्रतिक्षा-सूची की वैधता**

चयन-समिति की संस्तुति, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की तिथि से केवल एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी। इस अवधि के दौरान चयन के लिए विज्ञापित किसी भी एक क्षेत्र में यदि पद-रिक्ति होती है तो चयनित उम्मीदवार द्वारा प्रस्ताव अस्वीकृत करने या निर्धारित तिथि तक पदभार ग्रहण न करने सहित किसी भी कारण से पैनल के अगले उम्मीदवार को प्रस्ताव दे दिया जाएगा। हालांकि, यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष चयनित उम्मीदवार के साथ प्रतीक्षा-सूची में शामिल किया गया है तो विशेष उम्मीदवार द्वारा संस्थान में कार्यभार संभालने या एक वर्ष की परिसीमा, जो भी पहले हो, होते ही प्रतीक्षा-सूची अपने आप रद्द हो जाएगी।

7.15. **यात्रा व्यय के लिए योगदान**

7.15.1. **साक्षात्कार हेतु**

पे मैट्रिक्स के लेवल 14 और इससे ऊपर के लेबल के पदों के साक्षात्कार के लिए आमंत्रित उम्मीदवारों को किफायती श्रेणी हवाई भाड़ा (वापसी सहित) प्रतिपूर्ति किया जाएगा। पे मैट्रिक्स के लेवल 13 और लेवल 14 वाले पदों के लिए साक्षात्कार के लिए आमंत्रित उम्मीदवारों को प्रथम श्रेणी / द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित रेल-भाड़ा तथा अन्य को सबसे छोटे मार्ग से आने-जाने के लिए द्वितीय शयन श्रेणी रेल-भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

7.15.2 **पदभार ग्रहण करने हेतु**

संस्थान में पे मैट्रिक्स के लेवल 13 और इससे ऊपर के लेवलों के पदों पर नियुक्त व्यक्ति को खुद एवं परिवार के लिए हवाई/ रेल/ बस यात्रा पर वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

सुनील गर्ग
7-2-2021

प्रगत संगणन विकास केंद्र * सी डैक CDAC कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office * Centre for Development of Advanced Computing

व्यक्तिगत परिवहन पर खर्च जो वास्तविक आंकड़े रु. 25,000/- तक सीमित के आधार पर उस स्थान से संस्थान तक की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

प्रतिपूर्ति शर्त के अधीन लागू होगी जो कर्मचारी ने संस्थान में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए बने रहने का वादा किया है। यदि कर्मचारी दो वर्ष की सेवा पूरा करने से पहले संस्थान छोड़ देता है तो उसे भुगतानित राशि संस्थान को वापस करनी होगी।

7.16. **पहली बार नियुक्ति के समय चिकित्सा परीक्षा**

शारीरिक स्वस्थता प्रमाणपत्र- प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति स्वीकार करने से पहले संस्थान द्वारा स्वीकृत चिकित्सा अधिकारी / अस्पताल के द्वारा चिकित्सा संबंधी जाँच होगी एवं सेवा के लिए योग्य होना प्रमाणित होगा।

7.17. **चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन**

मानव संसाधन विभाग चयनित उम्मीदवारों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन करेगा। चयनित उम्मीदवार के लंबित सत्यापन के बाद भी अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जा सकती है।

8. **प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति**

8.1. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति, जहाँ यह संभव है एवं अगर समीचीन समझी जाती है तो भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाएगी। वेतन नियतन भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा। प्रत्येक विषय में सी-डैक में प्रतिनियुक्ति के द्वारा किसी भी रिक्त पद के भरे जाने की कार्रवाई के पहले सी-डैक यह सुनिश्चित करेगा कि समावेशन के नियम से रियायत पेंशन एवं पेंशनर कल्याण विभाग, भारत सरकार से लिया गया है।

8.2. स्थायी समावेशन

अनुभवी एवं प्रतिभावान व्यक्ति को आकर्षित करने एवं ऐसे कर्मचारियों की निरंतरता को बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए संस्थान उनके प्रारंभिक चयन या बाद की तिथि जब वे प्रतिनियुक्ति पर हों के आधार पर स्थायी समावेशन पर सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है। वेतन नियतन भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

9. **नियुक्तियों में आरक्षण एवं रियायत-** इस विषय में सरकारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. **गैर भारतीयों की नियुक्ति**

सुनील भोंसले 7.2.2021

प्रगत संगणन विकास केंद्र * Centre for Development of Advanced Computing * सी डैक CDAC कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office

गैर भारतीयों की नियुक्ति केवल बहुत ही विशेष परिस्थितियों में होनी चाहिए एवं वह भी केवल अनुबंध पर आवश्यक न्यूनतम अवधि के लिए। जब भी गैर भारतीयों की नियुक्ति प्रस्तावित होती है तो उसी समय ऐसे पदों को भरने के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। इस संबंध में सामान्य नीति को निर्दिष्ट करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस विषय पर जारी आदेशों का पालन करना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से यह भी जाँच करना आवश्यक है कि इस नियुक्ति के लिए क्या गैर भारतीय उपयुक्त हैं। पदभार ग्रहण करने से पहले गैर भारतीयों को निष्ठा-शपथ लेनी होगी। शपथ में उम्मीदवार का नाम, राष्ट्रीयता एवं अपनी नौकरी के दौरान वे भारत एवं भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहेंगे ऐसा सत्यनिष्ठ वचन व्यक्त होना चाहिए। शपथ में यह भी परिज्ञान होना चाहिए कि उम्मीदवार अपने कार्यालय के कार्यों को निष्ठा, ईमानदारी एवं निष्पक्ष ढंग से करेगा। ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय एवं स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति आवश्यक है।

11. **प्रवासी भारतीयों की नियुक्ति**

प्रवासी भारतीयों को संविदा / नियमित आधार पर नियुक्त किया जा सकता है यदि उनके सेवा की आवश्यकता है तो। इन्हें समेकित पारिश्रमिक दिया जा सकता है जो विशेषकर संस्थान के मुख्य कार्यकारी जैसे कि महानिदेशक के पारिश्रमिक से अधिक नहीं होगा।

12. **पुनर्नियोजन**

सी-डैक छोड़े हुए कर्मचारियों के लिए सी-डैक में पुनर्नियोजन के लिए स्वतः विचार नहीं किया जाएगा। यद्यपि वे विज्ञानों का जवाब देने के लिए स्वतंत्र होंगे। परंतु आयु, योग्यताएँ आदि के विषय में निर्धारित मापदंड एवं चयन के लिए निर्धारित मानकों में कोई विशेष विचारण नहीं होगा। यह परिच्छेद सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर लागू नहीं है।

दिनांक: 30 जून 2020

निदेशक (मासंवि)
सी-डैक

सुनील भसिन
7-2-2021

प्रगत संगणन विकास केंद्र
सी डैक CDAC
कार्पोरेट कार्यालय
Corporate Office
Centre for Development of Advanced Computing

सलाहकारों; वैज्ञानिकों एवं अन्य विशेषज्ञों की नियुक्ति संबंधी दिशानिर्देश-

1. **सलाहकारों की नियुक्ति**

संस्थान विशेष परिस्थितियों में तथा आवश्यकता एवं प्रत्येक विषय की महत्ता के आधार पर सलाहकारों को नियुक्त कर सकता है। विभिन्न प्रकार की नियुक्तियाँ निम्नानुसार हैं-

2. **अंशकालिक विजिटिंग वैज्ञानिक / विशेषज्ञ**

किसी बताए गए क्षेत्र में संस्थान के अपने कर्मचारियों की अनुपलब्धता सहित विभिन्न कारणों से किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए एक विशेष अवधि के लिए ऐसी नियुक्तियां की जाती हैं। अंशकालिक विजिटिंग वैज्ञानिक / विशेषज्ञ को उनके कार्य के लिए परिषद/ समिति के द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देश के अनुसार मानदेय दिया जाता है एवं उनको संस्थान का स्थायी कर्मचारी नहीं माना जाता है।

3. **पूर्णकालिक विजिटिंग वैज्ञानिक / विशेषज्ञ**

अनुसंधानकर्ताओं/ वैज्ञानिकों/ विशेषज्ञों को पूर्णकालिक/ अंशकालिक विजिटिंग वैज्ञानिक / विशेषज्ञ के रूप में काम करने हेतु आमंत्रित / चयन किया जा सकता है। संस्थान में इनके कार्यकाल के दौरान तुलनात्मक स्तर पर इनके कार्य, पारिश्रमिक एवं सुविधाएँ संस्थान के स्थी कर्मचारियों के समान होंगी।

4. **मानद विजिटिंग वैज्ञानिक / विशेषज्ञ / सलाहकार**

मानद विजिटिंग वैज्ञानिक / विशेषज्ञ / सलाहकार की हैसियत से एक अंशकालिक आधार पर उद्योगों एवं शोध संस्थानों में कार्यरत प्रख्यात एवं प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों/ अभियंताओं को संस्थान के साथ बातचीत के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। एस समय में ऐसी नियुक्तियाँ अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए होनी चाहिए। मानद विजिटिंग वैज्ञानिक / विशेषज्ञ से आशा है कि वे संस्थान के वैज्ञानिक कार्यों में योगदान दें जिसके लिए उन्हें समय-समय पर निर्धारित दरों पर मानदेय दिया जाएगा। मानदेय के अतिरिक्त संस्थान के दौरे के सिलसिले में संस्थान यात्रा/ वाहन खर्च वहन करता है। एक मानद विजिटिंग वैज्ञानिक / विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए निम्न मापदंड हैं-

- उनके पास उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्यताएँ होनी चाहिए;
- शोध एवं विकास कार्यों में सक्रिय प्रतिभागिता के साथ उसे किसी शोध संस्थान में एक जिम्मेदार पद या किसी उद्योग में विशिष्ट पद पर आसीन होना चाहिए;

सुनील भास्कर
7-2-2024

प्रगत संगणन विकास केंद्र * सी डैक CDAC कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office * Centre for Development of Advanced Computing

- उन्हें पेशे में सक्रियता के साथ लगा होना चाहिए एवं शोध कार्यों में सक्रिय रूचि होनी चाहिए;
- नियुक्त व्यक्ति की उम्र 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7-2-2024

प्रगत संगणन विकास केंद्र * Centre for Development of Advanced Computing * सी डैक CDAC कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office

अनुलग्नक - I

स्वीकृत पदों का लेवलवार विवरण

क्र.सं.	वेतन मैट्रिक्स का स्तर	नियमित			सतत संविदा			कुल योग
		वै. एवं तक.	गैर वै. एवं तक.	कुल	वै. एवं तक.	गैर वै. एवं तक.	कुल	
1	लेवल 15	1	0	1	0	0	0	1
2	लेवल 14	8	0	8	1	0	1	9
3	लेवल 13 ए	17	1	18	5	1	6	24
4	लेवल 13	47	2	49	14	1	15	64
5	लेवल 12	108	11	119	29	2	31	150
6	लेवल 11	174	19	193	41	4	45	238
7	लेवल 10	360	19	379	110	3	113	492
8.	लेवल 7	23	33	56	0	5	5	61
9	लेवल 6	107	64	171	0	8	8	179
10	लेवल 5	45	52	97	0	18	18	115
11	लेवल 4	4	30	34	0	5	5	39
12	लेवल 2	15	43	58	0	0	0	58
13	लेवल 1	3	33	36	0	3	3	39
कुल योग		912	307	1219	200	50	250	1469

निरंजन
10.08.26

निदेशक (मा.सं.वि)

सी-डैक

सी डैक
CDAC

अनुसूची- महानिदेशक (जून 2020 को संशोधित)

1	पदनाम	महानिदेशक
2	पदों की संख्या	01 * (2020) * कार्य पर निर्भर विविधता के अधीन
3	वर्गीकरण	लागू नहीं
4	वेतनमान	पे मैट्रिक्स में लेवल 15 (रु. 182200 – 224100)
5	क्या है- चयन या गैर-चयन	लागू नहीं
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	50 वर्ष नोट 1- सरकारी कर्मियों को दी जाने वाली आयु में छूट, समय-समय पर जारी डीओपीटी के निर्देशों के अनुसार लागू/शासित होगी। नोट 1- एमईआईटीवी के तहत स्वायत्त संस्था में सेवारत कर्मचारियों को डीआर मोड में पांच साल की छूट। नोट 3- आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि भारत में (न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर का लद्धाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के पांगी उप-अनुभाग के लाहौल और स्पीति जिले, लक्षद्वीप का अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि नहीं) अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।
7	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क) प्रासंगिक क्षेत्र में बी.ई. /बी.टेक और 25 वर्षों का अनुभव या ख) प्रासंगिक क्षेत्र में अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर और 20 वर्षों का अनुभव या ग) पीएचडी और 15 वर्षों से अधिक का प्रासंगिक अनुभव
8	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के मामले में एक वर्ष
10	भर्ती की विधि, चाहें सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती / स्थानांतरण (समावेशन)। नियुक्ति का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा या अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की तिथि तक, जो भी पहले हो।
11	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा भर्ती के मामले में, किस पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) से ग्रेड बनाए जाएंगे	केंद्र/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों के अधिकारियों के स्थानांतरण (समावेशन) के मामले में- नियमित आधार पर समरूप पद पर कार्यरत या (i) पे बैंड रु. 37400-67000 जीपी 10000 में 5 वर्ष नियमित सेवा (ii) कॉलम 8 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता रखना
12	यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना किस प्रकार है	चयन समिति में निम्न होंगे- क) एक प्रख्यात वैज्ञानिक – अध्यक्ष ख) सचिव, एमईआईटीवाई – सदस्य ग) किसी अन्य वैज्ञानिक विभाग का सचिव – सदस्य घ) सचिव, रक्षा मंत्री/ डीआरडीओ – सदस्य ङ) च) प्रासंगिक क्षेत्र से एक बाहरी विशेषज्ञ – सदस्य
13	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है	लागू नहीं

7-2-2021

प्रगत संगणन विकास केंद्र * Centre for Development of Advanced Computing * सी डैक CDAC कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office

अनुसूची – कार्यकारी निदेशक

1	पदनाम	कार्यकारी निदेशक
2	पदों की संख्या	स्वीकृति अनुसार
3	वर्गीकरण	श्रेणी 'क'
4	वेतनमान	पे मैट्रिक्स का लेवल 14 (रु. 144200 – 218200)
5	क्या है- चयन या गैर-चयन	चयन
6	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत स्वीकार्य है	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	50 वर्ष (भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार छूट)
8	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क) प्रासंगिक क्षेत्र में अभियांत्रिकी में स्नातक और 20 वर्षों का अनुभव या ख) प्रासंगिक क्षेत्र में अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर और 15 वर्षों का अनुभव या ग) पीएचडी और 10 वर्षों से अधिक का प्रासंगिक अनुभव
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	एक वर्ष, केवल सीधी भर्ती के लिए लागू
11	भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती/ स्थानांतरण (समावेशन) या प्रतिनियुक्ति द्वारा
12	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा भर्ती के मामले में, किस पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) से ग्रेड बनाए जाएंगे	केंद्र/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों के अधिकारियों के स्थानांतरण (समावेशन)/प्रतिनियुक्ति के मामले में- I. नियमित आधार पर समान पद पर कार्यरत या पे मैट्रिक्स के लेवल 13-ए में नियमित पांच (05) वर्ष कार्य और I. कॉलम 8 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता रखना
13	यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना किस प्रकार है	चयन समिति में निम्न होंगे- सचिव, एमईआईटीवाई - अध्यक्ष महानिदेशक, सी-डैक – सदस्य प्रासंगिक क्षेत्र से एक बाहरी विशेषज्ञ - सदस्य
14	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है	लागू नहीं

7-2-2021

अनुसूची – कुलसचिव

1	पदनाम	कुलसचिव
2	पदों की संख्या	स्वीकृति अनुसार
3	वर्गीकरण	श्रेणी 'क'
4	वेतनमान	पे मैट्रिक्स का लेवल 13-ए (रू. 131100 – 216600)
5	क्या है- चयन या गैर-चयन	चयन
6	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत स्वीकार्य है	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	50 वर्ष (भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार छूट)
8	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क) किसी भी विषय में स्नातक और योग्यता-पश्चात 24 वर्ष का अनुभव या ख) एलएलबी/ किसी भी विषय में स्नातकोत्तर और योग्यता-पश्चात 22 वर्षों का अनुभव या ग) कंपनी सचिव / दो वर्षीय पूर्णकालिक एमबीए या प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा / एलएलएम तथा योग्यता-पश्चात 20 वर्षों का अनुभव या घ) पीएचडी और योग्यता-पश्चात 18 वर्षों का अनुभव ङ) कुल अनुभव अवधि का आधा प्रशासन / मानव संसाधन / वित्त में होना चाहिए
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	एक वर्ष, केवल सीधी भर्ती के लिए लागू
11	भर्ती की विधि, चाहें सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती/ स्थानांतरण (समावेशन) या प्रतिनियुक्ति द्वारा
12	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा भर्ती के मामले में, किस पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) से ग्रेड बनाए जाएंगे	केंद्र/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों के अधिकारियों के स्थानांतरण (समावेशन)/प्रतिनियुक्ति के मामले में- II. नियमित आधार पर समान पद पर कार्यरत या पे मैट्रिक्स के लेवल 13 में नियमित दो (02) वर्ष कार्य और III. कॉलम 8 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता रखना
13	यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना किस प्रकार है	चयन समिति में निम्न होंगे- महानिदेशक, सी-डैक - अध्यक्ष सदस्य- किसी भी सी-डैक केंद्र के एक कार्यकारी निदेशक (महानिदेशक द्वारा मनोनीत) प्रासंगिक क्षेत्र से एक बाहरी विशेषज्ञ दो बाहरी विशेषज्ञ, जो पे मैट्रिक्स के लेवल 14 से कम न हों (महानिदेशक द्वारा मनोनीत)
14	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है	लागू नहीं

सुनील/मसेर
7.2.2021

प्रगत संगणन विकास केंद्र
सी डैक CDAC
कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office
Centre for Development of Advanced Computing

अनुसूची – एमटीएस ए1

1	पदनाम	सदस्य तकनीकी स्टॉफ ए1 (एमटीएस ए1)
2	पदों की संख्या	स्वीकृति अनुसार
3	वर्गीकरण	श्रेणी 'क'
4	वेतनमान	पे मैट्रिक्स का लेवल 14 (रु. 144200 – 218200)
5	क्या है- चयन या गैर-चयन	चयन
6	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत स्वीकार्य है	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	50 वर्ष (भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार छूट)
8	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क) प्रासंगिक क्षेत्र में अभियांत्रिकी में स्नातक और 21 वर्षों का अनुभव या ख) प्रासंगिक क्षेत्र में अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर और 15 वर्षों का अनुभव या ग) पीएचडी और 10 वर्षों से अधिक का प्रासंगिक अनुभव
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	एक वर्ष, केवल सीधी भर्ती के लिए लागू
11	भर्ती की विधि, चाहें सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती/ स्थानांतरण (समावेशन) या प्रतिनियुक्ति द्वारा
12	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा भर्ती के मामले में, किस पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) से ग्रेड बनाए जाएंगे	केंद्र/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों के अधिकारियों के स्थानांतरण (समावेशन)/प्रतिनियुक्ति के मामले में- IV. नियमित आधार पर समान पद पर कार्यरत या पे मैट्रिक्स के लेवल 13-ए में नियमित पांच (05) वर्ष कार्य और i. कॉलम 8 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता रखना
13	यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना किस प्रकार है	चयन समिति में निम्न होंगे- सचिव, एमईआईटीवाई - अध्यक्ष महानिदेशक, सी-डैक – सदस्य प्रासंगिक क्षेत्र से एक बाहरी विशेषज्ञ - सदस्य
14	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है	लागू नहीं

सुनील भतेर
7-2-2021

प्रगत संगणन विकास केंद्र
सी डैक CDAC
कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office
Centre for Development of Advanced Computing

अनुसूची - एमटीएस ए2

1	पदनाम	सदस्य तकनीकी स्टॉफ ए2 (एमटीएस ए2)
2	पदों की संख्या	अनुलग्नक-I के अनुसार स्वीकृत पद
3	वर्गीकरण	श्रेणी 'क'
4	वेतनमान	पे मैट्रिक्स में लेवल-13-ए (रु. 131100 – 21600)
5	क्या है- चयन या गैर-चयन	चयन
6	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत स्वीकार्य है	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	46 वर्ष (भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार छूट)
8	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क) प्रथम श्रेणी में बी.ई./ बी.टेक/ एमसीए या प्रासंगिक क्षेत्र में समकक्ष डिग्री तथा 16 वर्षों का अनुभव। या ख) प्रासंगिक क्षेत्र में अभियांत्रिकी/ प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर और 14 वर्षों का अनुभव ग) प्रासंगिक क्षेत्र में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर और 16 वर्षों का अनुभव घ) पीएचडी और 13 वर्षों का प्रासंगिक अनुभव
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष
11	भर्ती की विधि, चाहें सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा
12	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा भर्ती के मामले में, किस पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) से ग्रेड बनाए जाएंगे	केंद्र/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों के अधिकारियों के स्थानांतरण (समावेशन)/प्रतिनियुक्ति के मामले में- V. नियमित आधार पर समान पद पर कार्यरत **या** पे मैट्रिक्स के लेवल 13 में नियमित पांच (05) वर्ष कार्य **और** i. कॉलम 8 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता रखना
13	यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना किस प्रकार है	लागू नहीं
14	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है	लागू नहीं

सुनील कुमार
7.2.2024

प्रगत संगणन विकास केंद्र
सी डैक CDAC
कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office
Centre for Development of Advanced Computing

अनुसूची - एमटीएस ए3

1	पदनाम	सदस्य तकनीकी स्टॉफ ए3 (एमटीएस ए3)
2	पदों की संख्या	अनुलग्नक-I के अनुसार स्वीकृत पद
3	वर्गीकरण	श्रेणी 'क'
4	वेतनमान	पे मैट्रिक्स में लेवल-13-ए (रु. 123100 - 215900)
5	क्या है- चयन या गैर-चयन	चयन
6	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत स्वीकार्य है	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	41 वर्ष (भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार छूट)
8	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क) प्रथम श्रेणी में बी.ई./ बी.टेक/ एमसीए या प्रासंगिक क्षेत्र में समकक्ष डिग्री तथा 11 वर्षों का अनुभव या ख) प्रासंगिक क्षेत्र में अभियांत्रिकी/ प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर और 9 वर्षों का अनुभव या ग) प्रासंगिक क्षेत्र में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर और 11 वर्षों का अनुभव या घ) पीएचडी और 8 वर्षों का प्रासंगिक अनुभव
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के लिए एक वर्ष
11	भर्ती की विधि, चाहें सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा
12	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा भर्ती के मामले में, किस पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) से ग्रेड बनाए जाएंगे	केंद्र/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों के अधिकारियों के स्थानांतरण (समावेशन)/प्रतिनियुक्ति के मामले में- VI. नियमित आधार पर समान पद पर कार्यरत या पे मैट्रिक्स के लेवल 12 में नियमित चार (04) वर्ष कार्य और i. कॉलम 8 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता रखना
13	यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना किस प्रकार है	लागू नहीं
14	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है	लागू नहीं

सुनील मिसिर
7-2-2021

प्रगत संगणन विकास केंद्र
सी डैक CDAC
कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office
Centre for Development of Advanced Computing

अनुसूची - एमटीएस ए4

1	पदनाम	सदस्य तकनीकी स्टॉफ ए4 (एमटीएस ए4)
2	पदों की संख्या	अनुलग्नक-I के अनुसार स्वीकृत पद
3	वर्गीकरण	श्रेणी 'क'
4	वेतनमान	पे मैट्रिक्स में लेवल 12 (रु. 78800 – 209200)
5	क्या है- चयन या गैर-चयन	चयन
6	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत स्वीकार्य है	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	37 वर्ष (भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार छूट)
8	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क) प्रथम श्रेणी में बी.ई./ बी.टेक/ एमसीए या प्रासंगिक क्षेत्र में समकक्ष डिग्री तथा 7 वर्षों का अनुभव या ख) प्रासंगिक क्षेत्र में अभियांत्रिकी/ प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर और 5 वर्षों का अनुभव या ग) प्रासंगिक क्षेत्र में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर और 7 वर्षों का अनुभव या घ) पीएचडी और 4 वर्षों का प्रासंगिक अनुभव
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	एक वर्ष
11	भर्ती की विधि, चाहें सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा
12	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा भर्ती के मामले में, किस पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) से ग्रेड बनाए जाएंगे	केंद्र/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों के अधिकारियों के स्थानांतरण (समावेशन)/प्रतिनियुक्ति के मामले में- VII. नियमित आधार पर समान पद पर कार्यरत **या** पे मैट्रिक्स के लेवल 11 में नियमित चार (04) वर्ष कार्य **और** (i) कॉलम 8 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता रखना
13	यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना किस प्रकार है	लागू नहीं
14	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है	लागू नहीं

सुनील भसीन
8-2-2021

प्रगत संगणन विकास केंद्र
Centre for Development of Advanced Computing
सी डैक CDAC
कार्पोरेट कार्यालय
Corporate Office

सी डैक CDAC

अनुसूची - एमटीएस ए5

1	पदनाम	सदस्य तकनीकी स्टॉफ ए5 (एमटीएस ए5)
2	पदों की संख्या	अनुलग्नक-I के अनुसार स्वीकृत पद
3	वर्गीकरण	श्रेणी 'क'
4	वेतनमान	पे मैट्रिक्स का लेवल 11 (रु. 67700 – 208700)
5	क्या है- चयन या गैर-चयन	चयन
6	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत स्वीकार्य है	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	33 वर्ष (भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार छूट)
8	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क) प्रथम श्रेणी में बी.ई./ बी.टेक/ एमसीए या प्रासंगिक क्षेत्र में समकक्ष डिग्री तथा 3 वर्षों का अनुभव या ख) प्रासंगिक क्षेत्र में अभियांत्रिकी/ प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर और 1 वर्षों का अनुभव या ग) प्रासंगिक क्षेत्र में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर और 3 वर्षों का अनुभव या घ) प्रासंगिक क्षेत्र में पीएचडी
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	एक वर्ष
11	भर्ती की विधि, चाहें सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती
12	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा भर्ती के मामले में, किस पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) से ग्रेड बनाए जाएंगे	लागू नहीं
13	यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना किस प्रकार है	लागू नहीं
14	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है	लागू नहीं

सुनील भसीन
7.2.2024

प्रगत संगणन विकास केंद्र
सी डैक CDAC
कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office
Centre for Development of Advanced Computing

अनुसूची - एमटीएस ए6

1	पदनाम	सदस्य तकनीकी स्टॉफ ए6 (एमटीएस ए6)
2	पदों की संख्या	अनुलग्नक-I के अनुसार स्वीकृत पद
3	वर्गीकरण	श्रेणी 'क'
4	वेतनमान	पे मैट्रिक्स का लेवल 10 (रु. 56100 – 17500)
5	क्या है- चयन या गैर-चयन	चयन
6	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत स्वीकार्य है	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष (भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार छूट)
8	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क) प्रथम श्रेणी में बी.ई./ बी.टेक/ एमसीए या प्रासंगिक क्षेत्र में समकक्ष डिग्री या ख) प्रासंगिक क्षेत्र में अभियांत्रिकी/ प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर या ग) प्रासंगिक क्षेत्र में विज्ञान में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर या डोमेन विशिष्ट क्षेत्र में स्नातकोत्तर
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	एक वर्ष
11	भर्ती की विधि, चाहें सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती
12	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा भर्ती के मामले में, किस पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) से ग्रेड बनाए जाएंगे	लागू नहीं
13	यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना किस प्रकार है	लागू नहीं
14	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है	लागू नहीं

सुनील कुमार
7.2.2024

प्रगत संगणन विकास केंद्र
सी डैक CDAC
कार्पोरेट कार्यालय
Corporate Office
Centre for Development of Advanced Computing

अनुसूची – एमटीएस बी1

1	पदनाम	सदस्य तकनीकी स्टॉफ बी1 (एमटीएस बी1)
2	पदों की संख्या	अनुलग्नक-I के अनुसार स्वीकृत पद
3	वर्गीकरण	श्रेणी 'ख'
4	वेतनमान	पे मैट्रिक्स में लेवल 7 (रु. 44900 – 142400)
5	क्या है- चयन या गैर-चयन	चयन
6	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत स्वीकार्य है	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं
8	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क) अभियांत्रिकी / कंप्यूटर अनुप्रयोग में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा और प्रासंगिक क्षेत्र में 6 वर्ष का अनुभव या ख) कंप्यूटर विज्ञान / इलेक्ट्रानिकी/ आईटी/ कंप्यूटर अनुप्रयोग या समकक्ष डोमेन में प्रथम श्रेणी की डिग्री और प्रासंगिक क्षेत्र में 6 वर्ष का अनुभव या ग) प्रथम श्रेणी और डीओईएसीसी 'बी' स्तर के साथ स्नातक तथा प्रासंगिक क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू नहीं
11	भर्ती की विधि, चाहें सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	चयन
12	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा भर्ती के मामले में, किस पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) से ग्रेड बनाए जाएंगे	लागू नहीं
13	यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना किस प्रकार है	लागू नहीं
14	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है	लागू नहीं

सुनील मल्हार
7-2-2021

प्रगत संगणन विकास केंद्र
सी डैक CDAC
कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office
Centre for Development of Advanced Computing

अनुसूची - एमटीएस बी2

1	पदनाम	सदस्य तकनीकी स्टॉफ बी2 (एमटीएस बी2)
2	पदों की संख्या	अनुलग्नक-I के अनुसार स्वीकृत पद
3	वर्गीकरण	श्रेणी 'ख'
4	वेतनमान	पे मैट्रिक्स का लेवल 6 (रु. 35400 – 112400)
5	क्या है- चयन या गैर-चयन	चयन
6	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत स्वीकार्य है	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष (भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार छूट)
8	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क) अभियांत्रिकी / कंप्यूटर अनुप्रयोग में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा और प्रासंगिक क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव या ख) कंप्यूटर विज्ञान / इलेक्ट्रानिकी/ आईटी/ कंप्यूटर अनुप्रयोग या समकक्ष डोमेन में प्रथम श्रेणी की डिग्री और प्रासंगिक क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव या ग) एनसीवीटी के साथ ट्रेड प्रमाणपत्र, जिसमें पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता दसवीं या समकक्ष हो तथा प्रासंगिक क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव या घ) प्रथम श्रेणी और डीओईएसीसी 'ए' स्तर के साथ स्नातक तथा प्रासंगिक क्षेत्र में 4 वर्ष का अनुभव
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	एक वर्ष
11	भर्ती की विधि, चाहें सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती
12	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा भर्ती के मामले में, किस पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) से ग्रेड बनाए जाएंगे	लागू नहीं
13	यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना किस प्रकार है	लागू नहीं
14	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है	लागू नहीं

सुनील कुमार
7-2-2021

प्रगत संगणन विकास केंद्र * Centre for Development of Advanced Computing
सी डैक CDAC
कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office

सी डैक
CDAC

अनुसूची - एमटीएस बी3

1	पदनाम	सदस्य तकनीकी स्टॉफ बी3 (एमटीएस बी3)
2	पदों की संख्या	अनुलग्नक-I के अनुसार स्वीकृत पद
3	वर्गीकरण	श्रेणी 'ग'
4	वेतनमान	पे मैट्रिक्स का लेवल 5 (रु. 29200 – 92300)
5	क्या है- चयन या गैर-चयन	चयन
6	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत स्वीकार्य है	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष (भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार छूट)
8	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क) अभियांत्रिकी / कंप्यूटर अनुप्रयोग में प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा या ख) कंप्यूटर विज्ञान / इलेक्ट्रानिकी/ आईटी/ कंप्यूटर अनुप्रयोग या समकक्ष डोमेन में प्रथम श्रेणी की डिग्री या ग) एनसीवीटी के साथ ट्रेड प्रमाणपत्र, जिसमें पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता दसवीं या समकक्ष हो तथा प्रासंगिक क्षेत्र में 6 वर्षों का अनुभव या घ) प्रथम श्रेणी और डीओईएसीसी 'ओ' स्तर के साथ स्नातक तथा प्रासंगिक क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	एक वर्ष
11	भर्ती की विधि, चाहें सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती
12	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा भर्ती के मामले में, किस पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) से ग्रेड बनाए जाएंगे	लागू नहीं
13	यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना किस प्रकार है	लागू नहीं
14	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है	लागू नहीं

सुनील/मल्होत्रा
7-2-2021

प्रगत संगणन विकास केंद्र
सी डैक CDAC
कार्पोरेट कार्यालय
Corporate Office
Centre for Development of Advanced Computing

सी डैक
CDAC

अनुसूची - एमटीएस बी4

1	पदनाम	सदस्य तकनीकी स्टॉफ बी4 (एमटीएस बी4)
2	पदों की संख्या	अनुलग्नक-I के अनुसार स्वीकृत पद
3	वर्गीकरण	श्रेणी 'ग'
4	वेतनमान	पे मैट्रिक्स का लेवल 4 (रु. 25500 – 81100)
5	क्या है- चयन या गैर-चयन	चयन
6	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत स्वीकार्य है	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष (भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार छूट)
8	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क) एनसीवीटी/ आईटीआई के साथ प्रासंगिक ट्रेड में ट्रेड प्रमाणपत्र तथा प्रासंगिक क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव या ख) अभियांत्रिकी में डिप्लोमा या न्यूनतम 50% अंकों के साथ प्रासंगिक क्षेत्र में बी.एससी. तथा 1 वर्ष का अनुभव
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	एक वर्ष
11	भर्ती की विधि, चाहें सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती
12	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा भर्ती के मामले में, किस पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) से ग्रेड बनाए जाएंगे	लागू नहीं
13	यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना किस प्रकार है	लागू नहीं
14	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है	लागू नहीं

सुनील मल्होत्र
7.2.2021

सी डैक CDAC कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office Centre for Development of Advanced Computing

अनुसूची - एमटीएस बी5

1	पदनाम	सदस्य तकनीकी स्टॉफ बी5 (एमटीएस बी5)
2	पदों की संख्या	अनुलग्नक-I के अनुसार स्वीकृत पद
3	वर्गीकरण	श्रेणी 'ग'
4	वेतनमान	पे मैट्रिक्स का लेवल 2 (रु. 19900 – 63200)
5	क्या है- चयन या गैर-चयन	चयन
6	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत स्वीकार्य है	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष (भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार छूट)
8	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	एनसीवीटी/ आईटीआई के साथ प्रासंगिक ट्रेड में ट्रेड प्रमाणपत्र
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	एक वर्ष
11	भर्ती की विधि, चाहें सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती
12	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा भर्ती के मामले में, किस पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) से ग्रेड बनाए जाएंगे	लागू नहीं
13	यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना किस प्रकार है	लागू नहीं
14	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है	लागू नहीं

प्रगत संगणन विकास केंद्र
Centre for Development of Advanced Computing
सी डैक CDAC
कार्पोरेट कार्यालय
Corporate Office

सुनील मसीह
7.2.2021

अनुसूची - एमटीएस बी6

1	पदनाम	सदस्य तकनीकी स्टॉफ बी6 (एमटीएस बी6)
2	पदों की संख्या	अनुलग्नक-I के अनुसार स्वीकृत पद
3	वर्गीकरण	श्रेणी 'ग'
4	वेतनमान	पे मैट्रिक्स का लेवल 1 (रु. 18000 – 56900)
5	क्या है- चयन या गैर-चयन	लागू नहीं
6	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत स्वीकार्य है	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18 से 25 वर्ष (भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार छूट)
8	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क) 10वीं या समकक्ष उत्तीर्ण या ख) आईटीआई उत्तीर्ण* * विशेष आवश्यकता के अनुसार, यदि कोई हो तो लिया जा सकता है
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष
11	भर्ती की विधि, चाहें सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती
12	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा भर्ती के मामले में, किस पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) से ग्रेड बनाए जाएंगे	लागू नहीं
13	यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना किस प्रकार है	लागू नहीं
14	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है	लागू नहीं

सुनील मिश्र
7-2-2021

प्रगत संगणन विकास केंद्र
Centre for Development of Advanced Computing
सी डैक CDAC
कार्पोरेट कार्यालय
Corporate Office

सी डैक
CDAC

अनुसूची – एमएएस ए1

1	पदनाम	सदस्य प्रशासनिक स्टॉफ ए1 (एमएएस ए1)
2	पदों की संख्या	अनुलग्नक-I के अनुसार स्वीकृत पद
3	वर्गीकरण	श्रेणी 'क'
4	वेतनमान	पे मैट्रिक्स का लेवल 13-ए (रु. 131100 – 216600)
5	क्या है- चयन या गैर-चयन	चयन या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन)
6	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत स्वीकार्य है	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	50 वर्ष (भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार छूट)
8	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क) सीए / एलएल.एम और 19 वर्षों का अनुभव या ख) दो वर्षीय पूर्णकालिक एमबीए/ जन संचार में स्नातकोत्तर / एलएलबी / सीएस/ आईसीडब्लूए/ या समकक्ष प्रासंगिक व्यावसायिक योग्यता और 22 वर्षों का प्रासंगिक अनुभव
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	एक वर्ष
11	भर्ती की विधि, चाहें सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन)
12	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा भर्ती के मामले में, किस पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) से ग्रेड बनाए जाएंगे	केंद्र/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों के अधिकारियों के स्थानांतरण (समावेशन)/प्रतिनियुक्ति के मामले में- I. नियमित आधार पर समान पद पर कार्यरत या पे मैट्रिक्स के लेवल 13 में नियमित 5 वर्ष कार्य और कॉलम 8 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता रखना
13	यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना किस प्रकार है	लागू नहीं
14	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है	लागू नहीं

Centre for Development of Advanced Computing
सी डैक CDAC कॉर्पोरेट कार्यालय Corporate Office

7.2.2024

सी डैक
CDAC

अनुसूची - एमएएस ए2

1	पदनाम	सदस्य प्रशासनिक स्टॉफ ए2 (एमएएस ए2)
2	पदों की संख्या	अनुलग्नक-I के अनुसार स्वीकृत पद
3	वर्गीकरण	श्रेणी 'क'
4	वेतनमान	पे मैट्रिक्स का लेवल 13 (रु. 123100 – 215900)
5	क्या है- चयन या गैर-चयन	चयन या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन)
6	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत स्वीकार्य है	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	45 वर्ष (भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार छूट)
8	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क) सीए / एलएल.एम और 14 वर्षों का अनुभव या ख) दो वर्षीय पूर्णकालिक एमबीए/ जन संचार में स्नातकोत्तर / एलएलबी / सीएस/ आईसीडब्लूए/ या समकक्ष प्रासंगिक व्यावसायिक योग्यता और 17 वर्षों का प्रासंगिक अनुभव
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	एक वर्ष
11	भर्ती की विधि, चाहें सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जानें वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन)
12	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा भर्ती के मामले में, किस पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) से ग्रेड बनाए जाएंगे.	केंद्र/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत निकायों के अधिकारियों के स्थानांतरण (समावेशन)/प्रतिनियुक्ति के मामले में- I. नियमित आधार पर समान पद पर कार्यरत या पे मैट्रिक्स के लेवल 12 में नियमित 5 वर्ष कार्य और कॉलम 8 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता रखना
13	यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना किस प्रकार है	लागू नहीं
14	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है	लागू नहीं

सुनील भसीन
7.2.2021

प्रगत संगणन विकास केंद्र
सी डैक CDAC
कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office
Centre for Development of Advanced Computing

सी डैक
CDAC

अनुसूची - एमएएस ए3

1	पदनाम	सदस्य प्रशासनिक स्टॉफ ए3 (एमएएस ए3)
2	पदों की संख्या	अनुलग्नक-I के अनुसार स्वीकृत पद
3	वर्गीकरण	श्रेणी 'क'
4	वेतनमान	पे मैट्रिक्स का लेवल 12 (रु. 78800 – 209200)
5	क्या है- चयन या गैर-चयन	चयन या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन)
6	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत स्वीकार्य है	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	40 वर्ष (भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार छूट)
8	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क) सीए / एलएल.एम और 9 वर्षों का अनुभव या ख) दो वर्षीय पूर्णकालिक एमबीए/ जन संचार में स्नातकोतर / एलएलबी / सीएस/ आईसीडब्लूए/ या समकक्ष प्रासंगिक व्यावसायिक योग्यता और 12 वर्षों का प्रासंगिक अनुभव
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	एक वर्ष
11	भर्ती की विधि, चाहें सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन)
12	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा भर्ती के मामले में, किस पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) से ग्रेड बनाए जाएंगे	केंद्र/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों के अधिकारियों के स्थानांतरण (समावेशन)/प्रतिनियुक्ति के मामले में- I. नियमित आधार पर समान पद पर कार्यरत या पे मैट्रिक्स के लेवल 11 में नियमित 5 वर्ष कार्य और कॉलम 8 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता रखना
13	यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना किस प्रकार है	लागू नहीं
14	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है	लागू नहीं

प्रगत संगणन विकास केंद्र * Centre for Development of Advanced Computing
सी डैक CDAC कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office

7-2-2021

अनुसूची - एमएएस ए4

1	पदनाम	सदस्य प्रशासनिक स्टॉफ ए4 (एमएएस ए4)
2	पदों की संख्या	अनुलग्नक-I के अनुसार स्वीकृत पद
3	वर्गीकरण	श्रेणी 'क'
4	वेतनमान	पे मैट्रिक्स का लेवल 11 (रु. 67700 – 208700)
5	क्या है- चयन या गैर-चयन	चयन या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन)
6	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत स्वीकार्य है	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष (भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार छूट)
8	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क) सीए / एलएल.एम और 4 वर्षों का अनुभव या ख) दो वर्षीय पूर्णकालिक एमबीए/ जन संचार में स्नातकोत्तर / एलएलबी / सीएस/ आईसीडब्लूए/ या समकक्ष प्रासंगिक व्यावसायिक योग्यता और 7 वर्षों का प्रासंगिक अनुभव
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	एक वर्ष
11	भर्ती की विधि, चाहें सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन)
12	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा भर्ती के मामले में, किस पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) से ग्रेड बनाए जाएंगे	केंद्र/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों के अधिकारियों के स्थानांतरण (समावेशन)/प्रतिनियुक्ति के मामले में- I. नियमित आधार पर समान पद पर कार्यरत या पे मैट्रिक्स के लेवल 10 में नियमित 5 वर्ष कार्य और कॉलम 8 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता रखना
13	यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना किस प्रकार है	लागू नहीं
14	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है	लागू नहीं

सुनील मल्ल
7-2-2024

अनुसूची - एमएएस ए5

1	पदनाम	सदस्य प्रशासनिक स्टॉफ ए5 (एमएएस ए5)
2	पदों की संख्या	अनुलग्नक-I के अनुसार स्वीकृत पद
3	वर्गीकरण	श्रेणी 'क',
4	वेतनमान	पे मैट्रिक्स का लेवल 10 (रु. 56100 – 177500)
5	क्या है- चयन या गैर-चयन	चयन या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन)
6	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत स्वीकार्य है	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष (भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार छूट)
8	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क) सीए / एलएल.एम या ख) दो वर्षीय पूर्णकालिक एमबीए/ जन संचार में स्नातकोत्तर / एलएलबी / सीएस/ आईसीडब्लूए/ या समकक्ष प्रासंगिक व्यावसायिक योग्यता और 3 वर्षों का प्रासंगिक अनुभव
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	एक वर्ष
11	भर्ती की विधि, चाहें सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन)
12	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा भर्ती के मामले में, किस पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) से ग्रेड बनाए जाएंगे	केंद्र/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों के अधिकारियों के स्थानांतरण (समावेशन)/प्रतिनियुक्ति के मामले में- I. नियमित आधार पर समान पद पर कार्यरत या पे मैट्रिक्स के लेवल 7 में नियमित 5 वर्ष कार्य और कॉलम 8 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता रखना
13	यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना किस प्रकार है	लागू नहीं
14	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है	लागू नहीं

7-2-2021

अनुसूची – एमएएस बी1

1	पदनाम	सदस्य प्रशासनिक स्टॉफ बी1 (एमएएस बी1)
2	पदों की संख्या	अनुलग्नक-I के अनुसार स्वीकृत पद
3	वर्गीकरण	श्रेणी 'ख'
4	वेतनमान	पे मैट्रिक्स का लेवल 7 (रु. 44900 – 142400)
5	क्या है- चयन या गैर-चयन	चयन या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन)
6	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत स्वीकार्य है	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष (भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार छूट)
8	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क) किसी भी विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर ख) कंप्यूटर संचालन से परिचित ग) स्नातकों के लिए 14 वर्ष तथा स्नातकोत्तर वालों के लिए 12 वर्ष का प्रासंगिक क्षेत्र में कार्यानुभव
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	एक वर्ष
11	भर्ती की विधि, चाहें सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन)
12	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा भर्ती के मामले में, किस पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) से ग्रेड बनाए जाएंगे	केंद्र/ राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्त निकायों के अधिकारियों के स्थानांतरण (समावेशन)/प्रतिनियुक्ति के मामले में- I. नियमित आधार पर समान पद पर कार्यरत या पे मैट्रिक्स के लेवल 6 में नियमित 5 वर्ष कार्य और कॉलम 8 में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता रखना
13	यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना किस प्रकार है	लागू नहीं
14	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है	लागू नहीं

प्रगत संगणन विकास केंद्र * Centre for Development of Advanced Computing
सी डैक CDAC कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office
7-2-2021

सी डैक
CDAC

अनुसूची - एमएएस बी2

1	पदनाम	सदस्य प्रशासनिक स्टॉफ बी2 (एमएएस बी2)
2	पदों की संख्या	अनुलग्नक-I के अनुसार स्वीकृत पद
3	वर्गीकरण	श्रेणी 'ख'
4	वेतनमान	पे मैट्रिक्स का लेवल 6 (रु. 35400 – 112400)
5	क्या है- चयन या गैर-चयन	चयन
6	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत स्वीकार्य है	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष (भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार छूट)
8	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क) किसी भी विषय में स्नातक ख) कंप्यूटर में एक वर्षीय प्रमाणपत्र-पाठ्यक्रम ग) स्नातकों के लिए 11 वर्ष तथा स्नातकोत्तर वालों के लिए 9 वर्ष का प्रासंगिक क्षेत्र में कार्यानुभव या 50/100 डब्लूपीएम टंकण/ आशुलिपि के साथ स्नातक, कंप्यूटर संचालन से परिचित तथा 3 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	एक वर्ष
11	भर्ती की विधि, चाहें सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती
12	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा भर्ती के मामले में, किस पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) से ग्रेड बनाए जाएंगे	लागू नहीं
13	यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना किस प्रकार है	लागू नहीं
14	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है	लागू नहीं

सुनील मसीह
7-2-2021

प्रगत संगणन विकास केंद्र
सी डैक CDAC
कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office
Centre for Development of Advanced Computing

अनुसूची - एमएएस बी3

1	पदनाम	सदस्य प्रशासनिक स्टॉफ बी3 (एमएएस बी3)
2	पदों की संख्या	अनुलग्नक-I के अनुसार स्वीकृत पद
3	वर्गीकरण	श्रेणी 'ग'
4	वेतनमान	पे मैट्रिक्स का लेवल 5 (रु. 29200 – 92300)
5	क्या है- चयन या गैर-चयन	चयन
6	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत स्वीकार्य है	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	35 वर्ष (भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार छूट)
8	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क) किसी भी विषय में स्नातक ख) कंप्यूटर में न्यूनतम 6 मासिक प्रमाणपत्र-पाठ्यक्रम ग) स्नातकों के लिए 7 वर्ष तथा स्नातकोत्तर वालों के लिए 5 वर्ष का प्रासंगिक क्षेत्र में कार्यानुभव या 40/80 डब्लूपीएम टंकण/ आशुलिपि के साथ स्नातक तथा कंप्यूटर संचालन से परिचित
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	एक वर्ष
11	भर्ती की विधि, चाहें सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती
12	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा भर्ती के मामले में, किस पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) से ग्रेड बनाए जाएंगे	लागू नहीं
13	यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना किस प्रकार है	लागू नहीं
14	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है	लागू नहीं

सुनील मिश्र
7.2.2021

अनुसूची - एमएएस बी4

1	पदनाम	सदस्य प्रशासनिक स्टॉफ बी4 (एमएएस बी4)
2	पदों की संख्या	अनुलग्नक-I के अनुसार स्वीकृत पद
3	वर्गीकरण	श्रेणी 'ग'
4	वेतनमान	पे मैट्रिक्स का लेवल 4 (रु. 25500 – 81100)
5	क्या है- चयन या गैर-चयन	चयन
6	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत स्वीकार्य है	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष (भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार छूट)
8	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क) किसी भी विषय में स्नातक ख) कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम 6 मासिक प्रमाणपत्र-पाठ्यक्रम ग) स्नातकों के लिए प्रासंगिक क्षेत्र में 3 वर्षों का तथा स्नातकोत्तरों के लिए 1 वर्ष का कार्यानुभव
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	एक वर्ष
11	भर्ती की विधि, चाहें सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती
12	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा भर्ती के मामले में, किस पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) से ग्रेड बनाए जाएंगे	लागू नहीं
13	यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना किस प्रकार है	लागू नहीं
14	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है	लागू नहीं

7-2-2024

अनुसूची - एमएएस बी5

1	पदनाम	सदस्य प्रशासनिक स्टॉफ बी5 (एमएएस बी5)
2	पदों की संख्या	अनुलग्नक-I के अनुसार स्वीकृत पद
3	वर्गीकरण	श्रेणी 'ग'
4	वेतनमान	पे मैट्रिक्स का लेवल 2 (रु. 19900 – 63200)
5	क्या है- चयन या गैर-चयन	चयन
6	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत स्वीकार्य है	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	30 वर्ष (भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार छूट)
8	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क) किसी भी विषय में स्नातक ख) कंप्यूटर संचालन ज्ञान
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	एक वर्ष
11	भर्ती की विधि, चाहें सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती
12	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा भर्ती के मामले में, किस पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) से ग्रेड बनाए जाएंगे	लागू नहीं
13	यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना किस प्रकार है	लागू नहीं
14	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है	लागू नहीं

प्रगत संगणन विकास केंद्र
Centre for Development of Advanced Computing
सी डैक CDAC
कार्पोरेट कार्यालय
Corporate Office
7.2.2024

अनुसूची - एमएएस बी6 (बहुकार्यन स्टॉफ)

1	पदनाम	सदस्य प्रशासनिक स्टॉफ बी6 (एमएएस बी6) (बहुकार्यन स्टॉफ)
2	पदों की संख्या	अनुलग्नक-I के अनुसार स्वीकृत पद
3	वर्गीकरण	श्रेणी 'ग'
4	वेतनमान	पे मैट्रिक्स का लेवल 1 (रु. 18000 – 63200)
5	क्या है- चयन या गैर-चयन	लागू नहीं
6	क्या सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत स्वीकार्य है	लागू नहीं
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18 से 25 वर्ष (भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार छूट)
8	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क) 10वीं या समकक्ष उतीर्ण या ख) आईटीआई उतीर्ण* * विशेष आवश्यकता के अनुसार, यदि कोई हो तो लिया जा सकता है
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित उम्र और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	लागू नहीं
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष
11	भर्ती की विधि, चाहें सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा
12	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) द्वारा भर्ती के मामले में, किस पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण (समावेशन) से ग्रेड बनाए जाएंगे	लागू नहीं
13	यदि विभागीय समिति है तो उसकी संरचना किस प्रकार है	लागू नहीं
14	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना है	लागू नहीं

सुनील मिश्र
7-2-2021

प्रगत संगणन विकास केंद्र
सी डैक CDAC
कार्पोरेट कार्यालय Corporate Office
Centre for Development of Advanced Computing